



इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

तथा

रेल मंत्रालय

के बीच


समझौता ज्ञापन

वित्त वर्ष 2018—19

अनिवार्य प्रश्न  
भाग - अ

(केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू विद्यमान सरकारी अनुदान विवरित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को)

क्रम नं.	वित्तीय विवरण का संदर्भ	युनिट	वर्ष	2017-18 (अनुमानित)	5 वर्षों में औसत	वर्ष 2018-19 के लिए सन्निहित प्रारंभिक लक्ष्य					% सुधार
						उत्पन्न	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	निम्न	
1	टर्नओवर										
	परिचालनों के कारण	करोड़ रु.	10	10760.72	9046.77	13000	12500	12400	12300	12200	16.16%
2	परिचालन लागू/हानि										
	लाभ में घटने सह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (कमर्शियल/अधिशेष अन्य आय, असाधारण तथा अपवादालयक मदों को छोड़कर) - परिचालनों के कारण के प्रतिफल के रूप में परिवारजनिक लाभ/अधिशेष (मुक्त)	%	20	21.79	27.56	21.80	21.00	20.50	20.25	20.00	-3.63%
3	निवेश पर प्रतिफल										
	किन्हीं संश्लेषी इकाइयों के विभाजन करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को छोड़कर लाभ अथवा अधिशेष/औसत मुद्रा नेट वर्क										
	नेट वर्क साधारण औसत को आधार पर परिकल्पित की जाती है, परंतु औसत नेट वर्क के परिकल्पन के लिए इक्विटी के बार्ड-वेक, इक्विटी के दायजपूर्ण अथवा वित्तीय विशेष अनुदान भी	%	20	12.91	10.04	13.00	12.50	12.25	12.00	11.75	-3.18%
नोट: सकारण यह भी कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अक्षरों में प्रत्यक्षित हो जाता है, तो इसकी यह अनुभव परिकल्पित करने समय गुणांकन के समय अनुरोधों को ध्यान में रखा जायेगा।											
	योग (अ)		50								



(एस. के. सहायक)

प्रबंध निदेशक

इन्डियन रेलवे अडवेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड



(स्वीकृत संज्ञा)

सचिव

रेलवे बोर्ड

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16/05/2018

**अन्य प्राधल**  
**अनुलग्नक - II (भाग-ग)**  
**दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर लागू**

क्रम सं.	निर्धारण मानदंड	युनिट	अंक	2017-18 (अनुमानित)	5 वर्षों में औसत	वर्ष 2018-19 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य					% सुधार
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सहीतर जनक	निरूप्य	
						100%	80%	60%	40%	20%	
1	निर्धारित क्रय/कुल उपलब्ध धनराशि	%	20	96.5	99.97	97	96	95	94	93	-0.50%
2	वित्तित्त व्यय/कुल क्रय (एच)		10	0.50	0	0.30	0.50	0.55	0.60	0.65	-
3	समस्त रेटिड केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/इकाइयों की तुलना में बीबी के माध्यम से धनराशि जुटाने की लागत। (संगत समय में प्रचलित समतुल्य अवधि की 'एएए' रेटिड रायटर्स पैगमेंट्स लक्षित)	%	10	(-) 0.04	(-) 0.45	(-) 0.05	(+) 0.02	0.00	0.02	0.03	50%
4	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने कर्मचारी योग्यता परीक्षाएं सफलता से प्राप्त की हैं या नहीं (पी सी एन एच) अथवा इन्होंने समतुल्य का अनुमान लगाया है। निर्णय लेने के लिए मानक निर्देशक मंडल के समक्ष रखना कि क्या सार के अपडेटेशन करवाया जाए अथवा नहीं, यदि हाँ तो निर्देशक मंडल से समय सीमा के लिए अनुमोदन प्राप्त करना तथा यदि नहीं, तो व्यावसायिक कारण निर्देशक मंडल संसत्य (तारीख) में दर्ज करना।	तारीख	4	-	-	15.12.18	15.01.19	31.01.19	15.02.19	28.02.19	-
5	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एस आर एम एस) का ऑन लाइन कार्यान्वयन (डिजाइन और लाइन कर्मचारी डेटा प्रशासन, कर्मचारी स्वयं सेवा, निष्कासन प्रक्रिया, प्रतिभा प्रबंधन आदि शामिल हैं) तथा इसका वित्त के साथ एकीकरण	तारीख	6	-	-	15.12.18	15.01.19	31.01.19	15.02.19	28.02.19	-
जोड़			50								

**टिप्पणी :-**

- यह सहायता हुई थी कि पी सी एन सी द्वारा संस्तुत सत्य पी सी एन ई द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तावित अनुमानित आंकड़ों पर आधारित है। वार्षिक परीक्षाओं के अनुसार पी सी एन ई का बेहतर निष्पादन होने पर आई एन सी द्वारा अंतर वर्ष 2018-19 के लिए लक्ष्य में जोड़ दिया जाएगा। यदि वर्ष 2018-19 के आंकड़े अंतिमिष्ठ छात्रों में पुनः परिवर्तित/पुनः निरूपित किए गये हैं तो वार्षिक आंकड़ों की तुलना पुनः परिवर्तित/ पुनः निरूपित आंकड़ों पर आधारित होगी।
- वर्ष 2018-19 के लिए उपलब्धियों के परिकल्पना में सफल/असफल/अधिशेष मंडल -बड़ा कर अच्छा/छात्र कम करके देवे जाने पर समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों में निर्धारित नकारात्मक अंकों के अलावा सी ए जी/सार्वजनिक सेवाओं/सर्वोच्चों की परिभाषित सर्व समझौता की जाएगी।
- यह सहायता हुई थी कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्य सार्वजनिक है तथा कोई प्रतिबन्धन अनुमोद नहीं होगा। इसकी अलावा, मूल्यांकन समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में क्या लक्ष्यित अतिरिक्त पात्रता मानदंड के अनुमानों की अभीन होगा।

*Syama Prasad*

(एस. पी. पटनायक)

प्रबंध निदेशक

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

*Ami*

(रिजनेस सहाय)

सचिव

रेलवे बोर्ड

भारत सरकार


रेल मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16/05/18

विषय:- सी पी एस ई द्वारा स्वतः घोषणा-प्रमाणन

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 तथा आगे के एम ओ यू प्राचलों के संबंध में लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धि एम ओ यू मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित मानक तथा परिभाषाएं अपनाकर एम ओ यू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार परिकल्पित किये गये हैं। यदि किसी समय निष्पादन में कोई अंतर पाया जाता है तो लोक उद्यम विभाग एम ओ यू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है। सी पी एस ई को इस संबंध में दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।

  
(एस. के. पट्टनायक)  
प्रबंध निदेशक